न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज0)

समक्ष पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस

प्रकरण नियमित वाद संख्या :— 27 / 2013 प्रस्तुति तिथि :— 11.01.2010

शीर्षक

1. हर्षा पत्नी दर्शनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नांगल पुरोहित तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. सन्तोष कुमार पुत्र बद्रीनारायण जाति जाट
रामनारायण पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासीगण ग्राम नांगल पुरोहित तहसील आमेर जिला जयपुर
तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
दावा अंतर्गत धारा 53 एवं 188 राज0 काश्त0 अधि0
निर्णय दिनांक 5/7/2021

हस्तगत वाद वादीनी द्वारा ग्राम हनुमानपुरा मय चक तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नंबर 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 / 398 ,18 / 399 कुल किता 13 कुल रकबा 5.14 है0 के विषयगत प्रस्तुत किया गया था। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादीगण के जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई थी।

तदुपरांत प्रतिवादीगण को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय 30.01.2020 की पालना में गवाह हेतु कई अवसर दिए गए परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से लगातार अनुपस्थित होने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 07.04.2021 को अमल में लाई गई।

दिनांक 16.04.2021 को तनकीवाईज निर्णय पारित करते हुए वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया गया था एवं तहसीलदार आमेर को बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर कुर्रेजात प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त आदेशों की पालना में तहसीलदार आमेर द्वारा पत्र भू.अ. / 2021 / 2965 दिनांक 16.06.2021 के जरिए कुर्रेजात प्रस्ताव पारित [illegible] प्रेषित किए गए।

अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी डिक्री किए जाने का निवेदन किया , प्रतिवादीगण की ओर से अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:06:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

में लाई जा चुकी है। विपक्षी पक्ष की ओर से वाद वादी का खण्डन करने हेतु प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं अतः वाद वादी कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है–

1. हर्षा सांखला पत्नि दर्शन सिंह जाति राजपूत निवासी प्लॉट नंबर 6/99 विद्याधरनगर जयपुर के हिस्से में खसरा नंबर 6 रकबा 0.75 है0, 7 रकबा 0.69 है0, 8 रकबा 0.66 है0, 16 रकबा 0.03 है0, 15 रकबा 0.27 है0, 17/398 रकबा 0.08 है0, 18/399 रकबा 0.06 है0 भूमि रहेगी जिसे संलग्न नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है।
2. सन्तोष कुमार पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा 1/2 रामनारायण पुत्र नाथूराम हिस्सा 1/2 जाति जाट के हिस्से में भूमि खसरा नंबर 10 रकबा 0.62 है0, 11 रकबा 0.66 है0, 12 रकबा 0.33 है0, 13 रकबा 0.05 है0, 14 रकबा 0.59 है0, 15/437 रकबा 0.29 है0 भूमि रहेगी जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।
3. हर्षा सांखला पत्नि दर्शनसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत निवासी प्लॉट 6/99 विद्याधर नगर जयपुर, सन्तोष कुमार पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा 1/4 रामनारायण पुत्र नाथूराम हिस्सा 1/4 जाति जाट के हिस्से में खसरा नंबर 8/436 रकबा 0.03 है0, 9 रकबा 0.03 है0 भूमि रहेगी जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा एवं तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे खातेदारों का पृथक पृथक हिस्सा एवं पर्चा लगान निर्धारित कर पालना रिपोर्ट भिजवाने का श्रम करें। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:06:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner